सचिका स0–7 / बजट–46–01 / 2026 - 165(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव–सह–

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनाक– 20 / 05 / 2026

विषयः– **माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं० 2805/2026 के आलोक में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर में किये गये निरीक्षण के मद्देनजर संस्थान में ठीक हो चुके / स्थिर कुल 76 मनोरोगियो के स्वस्थ्य होने में मदद एवं मानसिक सुदृढ़िकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम (मूल्यांकन शुल्क सहित) पर होने वाले व्यय हेतु अनुमानित कुल राशि रू० 18,63,000/–(रूपये अठारह लाख तिरसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में रू० 18,63,000/–(रूपये अठारह लाख तिरसठ हजार) मात्र के व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सख्या–164(7A) दिनांक–20/05/2026 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं० 2805/2026 के आलोक में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध सस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर में किये गये निरीक्षण के मद्देनजर संस्थान में ठीक हो चुके / स्थिर कुल 76 मनोरोगियो के स्वस्थ्य होने में मदद एवं मानसिक सुदृढिकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 मे बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण एव रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम (मूल्यांकन शुल्क सहित) पर होने वाले व्यय हेतु अनुमानित कुल राशि रू० 18,63,000/–(रूपये अठारह लाख तिरसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में रू० 18,63,000/–(रूपये अठारह लाख तिरसठ हजार) मात्र के व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उक्त विस्तृत प्रशिक्षण एव रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम (मूल्यांकन शुल्क सहित) बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–164(7A) दिनांक–20/05/2026 के कडिका–3 में निहित शर्त्तो के अधीन कराया जायेगा।

3– इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2230– श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–102–प्रशिक्षु प्रशिक्षण, उपशीर्ष–0102–स्वास्थ्य प्रक्षेत्र मे बिहार कौशल विकास मिशन, विपत्र कोड–20–2230031020102 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0102–20–03–प्रशिक्षण व्यय ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

5– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार कौशल विकास मिशन, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA016, विपत्र कोड–00-8448-00-120-0036-00-02 के अन्तर्गत ledger ID-895 में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

6– बिहार कौशल विकास मिशन, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ।

7– यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08, 3758/वि0, दिनांक–31. 05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12 2024 एवं 3515/वि०, दिनांक–26.03.2025 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8– प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

9– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10– आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20.5.26.

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/बजट–46–01/2026–165 (7A) /स्वा0, पटना, दिनांक–20/05/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/निदेशक, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/5/26

सरकार के अपर सचिव।